समाचार–प्रकाशनार्थ :–

श्वान बधियाकरण हेतु निगरानी समिति का गठित

रतलाम 14 दिसम्बर । शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण कार्य को सुचारू रूप से करने व कार्य में पशु क्रूरता नियम 1960 की पालना को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आदेशानुसार एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (डॉग्स) रूल 2001 सब सेक्श (1) सेक्शन 38 पी.सी.ए. 1960 (59 ऑफ 1960) डॉग्स रूल के अन्तर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया।

गठित निगरानी समिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रतलाम अध्यक्ष, उप संचालक पशु पालन विभाग सदस्य, श्री जी.के. जायसवाल, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम रतलाम सदस्य, पद्मश्री डॉ0 लीला जोशी (चिकित्सक एवं समाजसेविका), श्रीमती आशा पति ईश्वरलाल गुप्ता (एनिमल एक्टिविस्ट), श्री वेदप्रकाश पिता रणवीर सिंह (एनिमल एक्टिविस्ट), सुश्री पल्लवी–लक्ष्मीनारायण टांक सोश्यल वर्कर, श्री प्रकाश–राजमल लोढ़ा सोश्यल वर्कर, श्री अमृत–सागरमल मूणत सोश्यल वर्कर, श्रीमती आपरा पति पुष्पेन्द्र खण्डेलवाल सोश्यल वर्कर, सुश्रो शिल्पा पिता विजय कुमार जोशी सोश्यल वर्कर को नियुक्त किया गया है।

गठित समिति द्वारा नोटिफिकेशन न्यु दिल्ली दिनांक 24.12.2001 से जारी सर्क्युलय में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 05 में उल्लेखित कार्य करेगी तथा किये गये कार्य से समय–समय पर आयुक्त नगर पालिक निगम, रतलाम को अवगत करायेगी।

महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए शहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ बनेगा रोड डिवाईडर
हजीरा पुलिया से ऑफिसर कॉलोनी मोड़ तक बनेगी सड़क
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा स्थलों का निरीक्षण

रतलाम 14 दिसम्बर । विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए शहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर व हजीरा पुलिया से ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क निर्माण हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम इंजीनियरों के साथ स्थलों का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए शहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण कर सड़क के सेन्टर हेतु नपती करवाई। इसी तरह नगर निगम स्वामित्व की हजीरा पुलिया से ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क के निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने उक्त कार्यो को करवाये जाने हेतु निगम इंजीनियरों को एस्टीमेंट शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री श्री अनवर कुरेशी, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

नगर निगम रतलाम हुआ हाई टेक

80 अधिकारी/कर्मचारी होंगे वायरलैस वॉकी–टॉकी से लैस

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर निगम के कायां को ओर अधिक गति दिये जाने के उद्‌देश्य से नगर निगम द्वारा एस टेली कम्पनी के क्रय किये गये 80 वॉयर लैस वॉकी–टॉकी को चलाने का प्रशिक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को दिया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा 80 वॉयरलैस वॉकी–टॉकी क्रय किये गये जिससे अधिकारी/कर्मचारियों से एक ही समय में बात की जा सकती है। क्रय किये गये वॉयरलैस वॉकी–टॉकी पुरे भारत में संचालित हो सकेगा व कहीं से भी बात कर सकेगा जिससे निगम के कार्यो को ओर अधिक गति मिलेगी।

14 दिसम्बर को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 14 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 14 दिसम्बर मंगलवार को 77 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

14 दिसम्बर मंगलवार को डम्पर से 31065, ट्रेक्टर से 10665, काम्पेक्टर सूखा कचरा 15755 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19930 किलो इस तरह कुल 77415 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

खुले में गंदगी करने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना
मास्क नहीं लगाने पर 37 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 14 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 दिसम्बर को 20 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रकाश, नियाज खान, पंकज मीणा, अर्जून यादव घांस बाजार, मंगलेश, कालू सिंह बाजना बस स्टैण्ड, गोर्वधन, शांतिलाल, सोहनलाल पर 100–100, मुकेश, छेदीसिंह, अरूण, धन्नालाल, अनिल राठौड़, रमेश गौशाला रोड, राजू, रामलाल, प्रदीप, संतोष बाजना बस स्टैण्ड, संदीप सागोद रोड पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 37 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812,

आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

6220 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 14 दिसम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 14 दिसम्बर मंगलवार तक 6220 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 61.95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायं।

2529 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 79 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 14 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2399 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 130 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 76 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 14 दिसम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के पत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 14.12.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.